न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खन्ड)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रटे न्याय कक्ष संख्या 3 बुलन्दशहर

उपस्थितः– **सुमित प्रेमी, पी.सी.एस.जे.**

फौजदारी वाद संख्या –284 सन 2017

सीएनआर नं. यूपीबीयू04–000144–1994

राज्य–––––––––––––––बनाम––––––––––––––––––––कंछी आदि

मु0अ0सं033ए सन 94

धारा 147,148,324/149,504,506,(2) व 452 भा.दं.सं..

थाना अहमदगढ जिला बुलन्दशहर।

निर्णय

अभियुक्तगण सुरेश, रामेश्वर दयाल, राधेश्याम, रवीस का परीक्षण, पुलिस थाना अहमदगढ़ द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 324 , 504,506, व 452 भा. दं.सं के आधार पर भा.दं.सं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि वादी बीघाराम पुत्र रोहणी प्रसाद निवासी ग्राम रहमापुर थाना अहमदगढ़ जिला बुलन्दशहर ने थाना अहमदगढ़ पर इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की कि मेरे खेत में जबरदस्ती कंडी कूड़ा डालता है। मैनें उसे जबरदस्ती कूड़ा डालने को मना किया। आज दिनांक 1.6.94 को अभियुक्तगण सुरेश पुत्र नोबत ने अपनी बुग्गी में घूरा भरकर मेरी फसल में से ले जाने लगा। जिससे सकरगंदी व काशीफल की बेलों को काफी नुकसान हुआ। मैनें उससे ऐसा करने को मना किया कि तुम मेरी फसल का काफी नुकसान कर रहे हो । इसी बात पर कुछ देर बाद समय करीब 11 बजे कंछी पुत्र नोबतराम, रामेश्वर पुत्र नोबतराम, सुरेश पुत्र नोबतराम, राधेश्याम पुत्र नोबत राम, व रवीस पुत्र रामेश्वर एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डंडा बल्लम लेकर आये। जिसमें सुरेश के पास बल्लम थी, रामेश्वर के पास बल्लम थी, रवीस के पास लाठी थी,आकर मारपीट करने लगे। मौके पर रामवृक्ष पुत्र रामस्वरूप, फकीरचन्द पुत्र रघुवीर, जुल्फीउर्फ विजय सिंह पुत्र सरदार सिंह व गांव के बहुत से लोग आ गये जिन्होनें यह वाक्या देखा और बचाया। मेरे बीघाराम पुत्र रोहणी प्रसाद के सिर में काफी चोट आयी है और बांय में भी चोट आयी है। अभियुक्तगण जाते समय कह रहे थे कि साले आज तो तू बच गया,आयंदा तुझे जिंदा नहीं छोड़गें। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना अहमदगढ़ पर दिनांक 1.6.94 को 12.20 बजे अपराध संख्या 33ए सन 94 अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा.दं. सं. अभियुक्तगण कंछी, रामेश्वर, सुरेश, राधेश्याम तथा रवीस के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा मामले की विवेचना की गयी। बाद विवेचना विवेचक ने

अभियुक्तगण कंछी, सुरेश, रामेश्वर,रवीस तथा राधेश्याम के विरूद्ध धारा 147, 148, 324, 504, 506 व 452 भा0द0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया ।

पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण कंछी, सुरेश, रामेश्वर, सर्वेश व राधेश्याम के विरूद्ध धारा 147,148, 324/149, 504, 506, (2) व 452 भा.दं.सं. के अन्तर्गत के आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार करके परीक्षण की मांग की।

दौरान वाद अभियुक्त कंछी की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2012 को उसके विरूद्ध वाद उपशमित किया गया।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी0डब्लू 1 बीघाराम व पी0डब्लू 2 रामवृक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है।

अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया। अपने बयान में घटना से इंकार करते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता अन्तर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर लिया है।

मैनें अभियोजन तथा अभियुक्तगणके विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से घटना में चुटैल साक्षी पी0डब्लू 1 के रूप में परीक्षित साक्षी बीघाराम ने अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि करीब साढ़े दस वर्ष पहले मेरे खेत में जबरदस्ती अभियुक्त कंछी ने घूरा डाल दिया था। मैनें घूरा डालने से मना किया था। अभियुक्त कंछी बुग्गी लेकर मेरे खेत में घूरा डालने के लिये निकला जिससे मेरी शकरगंदी व काशीफल की फसल को नुकसान हुआ था। मैनें कंछी, सुरेश वगैरा से नुकसान करने से मना किया। मैनें कहा कि तुम लोग मेरी फसल में क्यों नुकसान कर रहे हो। दिन के 11 बजे कंछी, रामेश्वर, सुरेश, राधेश्याम और सर्वेश अपने हाथों में लाठी डंडे व बल्लम लेकर आये और मेरे साथ मारपीट करने लगे। सुरेश व रामेश्वर के हाथ में बल्लम था। सर्वेश वगैरा पर लाठियां थी।मुझे लाठी,बल्लम व लात घूसों से मारपीट करने लगे। मेरे शोर पर मौके पर रामस्वरूप व फकीरचन्द आ गये । जिन्होनें घटना देखी और मुझे बचाया। जाते समय अभियुक्तगण कह गये थे कि अबके तो बच गया,अबकी बार जिन्दा नहीं छोड़ेगें। गवाह ने तहरीर पर अपना अंगूठा होनेका कथन करते हुए तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में सिद्ध किया है। इस गवाह पर विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष ने काफी विस्तार से जिरह की है। किन्तु जिरह में भी इस गवाह के बयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे इसके बयान पर विश्वास न किया जा सके।

अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पी0डब्लू 2

रामवृक्ष पुत्र रामस्वरूप को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य मुख्य पृच्छा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि मारपीट की घटना लगभग 15 साल पहले 11 बजे दिन की है। घटना के दिन सुरेश खाद डाल रहा था। साथ में नौकर नरपत सिंह था। जिधर से सुरेश बुग्गी ला रहा था वह आबादी थी। उस पर बीघाराम ने सब्जी लौका तोरई बो रखी थी। सुरेश उसमें से जबरदस्ती बुग्गी निकालकर ले गये। प्रेमचन्द शर्मा ने मना किया तो प्रेमचन्द शर्मा को सुरेश ने पैना से मारापीटा। उसके बाद कंछी, रामेश्वर, राधेश्याम, रमेश, सर्वेश, ने प्रेमचन्द के घेर आकर लाठी बल्लम से मारपीट की। इस घटना में बीधाराम को चोटे आयी थी। मैं शोर पर मौके पर पहुंच गया था। वहां पर मेरे अलावा फकीरचन्द, जुल्फी और काफी आदमियों ने पहुंचकर बीच बचाव किया था। इस साक्षी से विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष ने विस्तार से जिरह की है। किन्तु इसकी जिरह में भी ऐसा कोई कथन नहीं आया है जिससे इसके कथन पर अविश्वास किया जा सके।

अलावा इसके बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने चिक एफ0आई0आर0, नक्शा नजरी, इंजरी रिपोर्ट आदि अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता अन्तर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर लिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था मनो दत्त व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. जो क्रिमिनल अपील नं0 77 सन 2007 में दिनांक 29 फरवरी 2012 को दी गयी थी, में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि घटना में चुटैल गवाह के साक्ष्य को एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि घटना में आयी चोटें इस गवाह की इस आशय की गारंटी देती है कि वह घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित था और वह यह नहीं चाहेगा कि उस पर हमला करने वाला व्यक्ति बिना किसी सजा के छूट जाये तथा वह यह भी नहीं चाहेगा कि वह किसी तीसरे निर्दोष व्यक्ति को झूंठा फंसाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि चुटैल गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाना चाहिए, अगर कोई अन्य सन्देहपूर्ण परिस्थितियां साक्ष्य में नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था मकसुदन बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0 (1983) 1 एस0सी0सी0 218 (तीन जजों की पीठ), स्टेट आफॅ यू0पी0 बनाम नरेश एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट 761, में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि चुटैल गवाह की धटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति को संदेह से नही देखा जाना चाहिए क्योंकि उसे घटना में उसको स्वयं चोटे आयी होती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन पक्ष,

अभियुक्तगण सुरेश, रामेश्वर दयाल, राधेश्याम, रवीस के विरूद्ध आरोपित आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा हैं। अतः अभियुक्तगण सुरेश, रामेश्वर दयाल, राधेश्याम, रवीस को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 147,148, 324/149, 504, 506, (2) व 452 भा.दं.सं दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं और उनके प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

दिनांक 25.6.2018

(सुमित प्रेमी)
अपर सिविल जज (प्रवर खन्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्याय कक्ष संख्या 3 बुलन्दशहर।

<u>25.6.2018</u>

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा उत्तेजना में उपरोक्त अपराध कारित कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाये। जब कि अभियोजन की ओर से आपत्ति करते हुए यह कहा गया है कि घटना की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दंडित किया जाये।

प्रस्तुत मामले में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2016 को निर्णीत किया जा चुका है जिसमें न्यायालय द्व ारा अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जिन परिस्थितियों में अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया गया है,इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सुरेश, रामेश्वर, रवीश तथा राधेश्याम को धारा 147, 148, 324/149, 504, 506(2) व 452 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए , दण्ड के बजाय प्रत्येक अभियुक्त को छः–छः माह की सदाचार की अपराधी परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि अभियुक्तगण अपराधी परिवीक्षा अवधि में सदाचार बनाये रखेगें तथा परिशान्ति कायम रखेगें। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्राविधानों का उल्लघंन किया जाता है तो अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा पुनः तलब कर सजा के प्रश्न पर सुना जायेगा।

प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के प्राविधानों के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की जमानत समान धनराशि का पी0बी0 दाखिल किया जाये।

अभियुक्तगण छः माह की अवधि तक प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को न्यायालय में हाजिर होगें।

तद्क्रम में न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खन्ड) न्याय कक्ष संख्या 3 बुलन्दशहर के दंण्डालिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्तगण के सदाचार के संदर्भ में बीस हजार रूपये की दो जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर अभियुक्तगण के सदाचार के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

दौरान वाद अभियुक्त कंछी की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2012 को उसके विरूद्ध वाद उपशमित किया गया।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 25.6.2018

(सुमित प्रेमी)
अपर सिविल जज (प्रवर खन्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्याय कक्ष संख्या 3 बुलन्दशहर।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 25.6.2018

(सुमित प्रेमी)
अपर सिविल जज (प्रवर खन्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्याय कक्ष संख्या 3 बुलन्दशहर।